①

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी सिमडेगा

[बोर्ड के आदेश सं० ४२१६ बो० ता० १२-८-११ में अनुमोदित] [स्थायी मु० के उपयोगार्थ]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

SAR- 11/2017 विविध विभाग

जतरु लोहरा रजिस्टर सं० शलील तिर्की व अन्य

CNT Act

					21-8-019
					16-10-019
					22-1-20
					26-2-20
					18-3-20
					13-5-20
					7-10-20
					25-11-20
					20/1/2021
					12/2/2021
					07-04-2021
					7-7-2021
					11-5-2021
					20/11/2021
					5/1/22
					8-2-2022
					22/3/22
					order

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

अनुसूची–14 फारम सं० 562 (विधि शाखा)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .... से .... तक

जिला–सिमडेगा ....सन..........................

केश का प्रकार SAR 11/17-18

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
28.3.18	श्री जतरू लोहरा पिता स्व० कोरदा लोहरा साकिन जानरा कुबीरोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया हैं कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी ① सलील तिर्की पिता स्व० रही तिर्की ग्राम गुमला जिला गुमला हाल मो० बोकारो स्टीलसीटी जिला बोकारो ② श्री सुनीता तिर्की पिता जोसेफ तिर्की साकिन कुलुकेरा थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने एवं कारण–पृक्षा दाखिल करने हेतु सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18.4.18 को उपस्थापित करें। साथ ही अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। ग्राम – खाता सं0– 188 – प्लॉट सं0 4462 – रकबा 0.72 एकड़ (ग्राम: जानरा कुकुरटोली) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	18.4.18 30.5.18 5-9.18 9.1.19 13-2-019 13-3-019 19.6.19 7.8.19

मिल

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 ~~18/2015–16~~ 11/2017

दिनांक.....

जतरू लोहरा

बनाम

सलील तिर्की वगै0

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक जतरू लोहरा वल्द स्व0 कंदरा लोहरा, साकिन–गोतरा कुबीटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर दिनांक 28.03.2018 को शुरू की गई। आवेदक ने अपने आवेदन में लिखा है कि विपक्षीगण क्रमशः 1. सलील तिर्की, पिता–स्व0 एडी तिर्की, ग्राम–गुमला, जिला–गुमला हाल मोकाम बोकारो स्टील सीटी, जिला–बोकारो 2. सुश्री सुनीता तिर्की, पिता–जोहन तिर्की, साकिन क्रुशकेला, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने उनके निम्नांकित जमीन को नाजायज तरीके से अपने नाम पर हस्तान्तरण कर लिये है। प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गोतरा	80	188	4462	0.72 एकड़

आवेदक द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71A के तहत् जमीन वापस दिलवायी जाय। आवेदक के आवेदन के आलोक में यह मुकदमा प्रारंभ हुई। विपक्षीगणों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, सिमडेगा से प्रक्रिया की जमीन के बावत विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। विपक्षीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद में उपस्थित हुए एवं अपना लिखित पक्ष आवश्यक दस्तावेज के साथ न्यायालय में समर्पित किया जो अभिलेख में संलग्न है। साथ ही श्रीमान अंचल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा जाँच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया है, अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में कहा है कि वे लोहरा जाति के सदस्य है, और प्रक्रिया की जमीन उनके दादाजी स्व0 मिला लोहरा के जमाबंदी खाता नं0–188 के पंजी–II से दिनांक 18.01.1989 ई0 को संवैधानिक तरीके से काटकर विपक्षी सलील तिर्की के नाम पर नया जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0–295 खोलकर दाखिल किया गया है, किन्तु कथित जमीन पर विपक्षी सलील तिर्की कभी भी दखलकार नहीं रहा है और दिनांक 24.01.2013 ई0 को विपक्षी सलील तिर्की के भाई शिशिर तिर्की द्वारा विपक्षी सं0–2 सुनीता तिर्की को 0.04 एकड़ जमीन बेचा गया। विपक्षी सं–2 जब मकान बनाने जमीन पर आयी तब आवेदक को इस छल प्रपंच की जानकारी हुई। अतः जमीन वापसी का यह मुकदमा आवेदक दायर किया है। अपने दावे के पक्ष में आवेदक द्वारा निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. वर्ष 2012–13 का मालगुजारी रसीद सं0–7085152 की छायाप्रति जो मीला लोहार के नाम से निर्गत है–एक फरद।
2. कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा जतरू लोहरा के नाम निर्गत जाति प्रमाण पत्र क्रमांक–II/60 दिनांक 19.03.2013 की छायाप्रति–एक फरद।

Scanned with CamScanner

3. मौजा–गोतरा, थाना नं0–80, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के खाता नं0–188 खतियान की छायप्रति–एक फरद।

अतः दफा–47 अदालत में नहीं है। वापसी

विपक्षीगणों द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित जवाब दाखिल किया गया है। लिखित जवाब में विपक्षीगणों द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत् जमीन विगत् रिविजनल सर्वे में मीला लोहार वल्द कोंगया लोहार के नाम से कायमी रैयती दर्ज है। मीला लोहार प्रश्नगत् जमीन को निबंधित बिक्रय दस्तावेज के द्वारा दिनांक 05.07.1949 ई0 को सहदेव घांसी, साकिन–खुंटीटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा को बिक्री कर दिया। सहदेव घांसी प्रक्रिया की जमीन को बिक्रय दस्तावेज के द्वारा दिनांक 26.08.1971 ई0 को विपक्षी सं0–1 सलील तिर्की को बिक्री कर दिये। विपक्षी सं0–1 जमीन खरीदने के पश्चात् मुकदमें की जमीन शांतिपूर्वक दखल में आया एवं अपने नाम से दाखिल–खारिज कराया। जिसका वाद सं0–30 R27/1974-1975 है। विपक्षी सं0–4 सलील तिर्की काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। अतः उन्होंने दिनांक 02.07.2012 ई0 को अपने छोटे भाई शिशिर तिर्की को प्रक्रिया की जमीन को बिक्रय करने एवं निबंधन करने के एक निबंधित पावर ऑफ एटॉर्नी होल्डर शिशिर तिर्की प्रक्रिया की जमीन रकबा–0.72 एकड़ में से 0.04 एकड़ निबंधित बिक्रय पट्टा के द्वारा दिनांक 24.01.2013 को विपक्षी सं0–2 सुनीता तिर्की को बिक्री कर दिया। विपक्षी सं0–2 जमीन खरीदने के पश्चात् खरीदगी जमीन पर शांतिपूर्वक दखल की गई एवं अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवायी जिसकी दाखिल–खारिज वाद सं0–06R27/2012-13/ 491R27/2012-13 है। उक्त दाखिल–खारिज के खिलाफ आवेदक श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा के न्यायालय में अपील दायर किया। जो दाखिल–खारिज वाद सं0–03/2013–14 के रूप दर्ज हुआ। जिसे न्यायालय श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा के द्वारा दिनांक 28.01.2014ई0 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ आवेदक श्रीमान उपायुक्त, सिमडेगा के न्यायालय में रेवेन्यू रिविजन दाखिल किया जिसका मुकदमा संख्या रेवेन्यू रिविजन संख्या–02/2014–15 के रूप में दर्ज हुआ। जो दिनांक 11.11.2022 ई0 को न्यायालय श्रीमान उपायुक्त महोदय, सिमडेगा द्वारा खारिज कर दिया गया।

पुनः विपक्षीगणों द्वारा अपने लिखित जवाब में कहा गया कि सन्–2013 ई0 में धारा–144 द0प्र0स0 के तहत् एक मुकदमा प्रक्रिया की जमीन पर विपक्षीगणों के खिलाफ आवेदक द्वारा लाया गया था।

जो श्रीमान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में M45/2013-14 के रूप में दर्ज हुआ। उक्त मुकदमा दिनांक 03.08.2013 ई0 को फैसला आया।

जिसमें आवेदक के प्रक्रिया की जमीन में जाने से रोक लगा दिया गया, तथा प्रक्रिया की जमीन पर विपक्षी के शांतिपूर्वक दखल–कब्जा पाया गया। आवेदक एवं उसके भाई सुरेश लोहार एवं आवेदक का चचेरा भाई चेतु लोहार द्वारा प्रक्रिया की जमीन के संदर्भ में एक मुकदमा टाईटल सूट 16/2013 श्रीमान सब जज–1, सिमडेगा के न्यायालय में दाखिल किया था। जिसमें श्रीमान सब जज–1,सिमडेगा द्वार दिनांक 31.07.2017 को आवेदक के विरूद्ध फैसला देते हुए उसके द्वारा दायर मुकदमा को खारिज कर दिया गया। विपक्षीगणों के द्वारा कहना है कि खतियान के अनुसार आवेदक की जाति लोहार है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है।

Scanned with CamScanner

अतः दफा–46 CNT ACT का क्रय–विक्रय का उल्लंघन नहीं हुआ है, और श्रीमान के अदालत में प्रक्रिया मुकदमा 71A छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत् विचारणीय नहीं है। साथ ही आवेदक का आवेदन विधि–विधान से बाधित है। अतः आवेदक के जमीन वापसी के आवेदन को खारिज किये जाने की कृपा की जाय।

विपक्षीगण अपने लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये है:–

1. छायाप्रति निबंधित बिक्रय दस्तावेज दिनांक 05.07.1949–2फरद।
2. छायाप्रति निबंधित दस्तावेज दिनांक 24.08.1971–2फरद।
3. छायाप्रति शुद्धि–प. मुकदमा सं0–30R27/1974-75 - 2 फरद।
4. छायाप्रति निबंधित दस्तावेज दिनांक 24.01.2003–10 फरद।
5. छायाप्रति शुद्धि–पत्र मुदकमा सं0–6R27/2013-14–1फरद।
6. मालगुजारी रसीद–5 फरद।
7. छायाप्रति फैसला दिनांक 31.07.2017 सब जज–1, सिमडेगा (टी0ए0सं0–16/2013)–15 फरद।
8. छायाप्रति डिग्री दिनांक 10.03.2017–1 फरद।
9. छायाप्रति फैसला दिनांक 28.01.2014 दाखिज–खारिज वाद सं0–3/2013–14 न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमड़ेगा–2 फरद।
10. फैसला दिनांक 11.11.2020 रेवेन्यू रिविजन वांद सं0–2/2014–15, न्यायालय श्रीमान उपायुक्त महोदय सिमडेगा द्वारा–2 फरद।
11. छायाप्रति फैसला न्यायालय श्रीमान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा – 2फरद

अंचल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा वाद की जमीन के बाबत एक विस्तृत जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1662(ii), दिनांक 17.10.2019 समर्पित किया है जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी सं0–1 सलील तिर्की वाद की जमीन को दिनांक 26.08.1971 ई0 को निबंधित पट्टा सं0–874 द्वारा खरीदकर दखलकार है। खतियानी रैयत मीला लोहार वल्द कोंगना लोहार कौम लोहार" है। पंजी–II में खाता नं0–188, प्लॉट नं0–4462, रकबा–0.68 एकड़ सलील तिर्की, पिता–स्व0 एडी तिर्की के नाम से जमाबंदी कायम है, एवं खाता नं0–188, प्लॉट नं0–4462, रकबा–0.04 एकड सुनीता तिर्की वल्द जोहन तिर्की के नाम से जमाबंदी कायम है।

प्रश्नगत् भूमि के खतियानी रैयत मीला लोहार वल्द कोंगना लोहार जाति लोहार द्वारा पट्टा सं0–181, दिनांक 05.07.1949 द्वारा श्री सहदेव घांसी वल्द खड़कधारी घांसी को बिक्री कर दिया। सहदेव घांसी प्रश्नगत् भूमि को निबंधित दस्तावेज संख्या–874, दिनांक 26.08.1971 ई0 को सलील तिर्की (विपक्षी सं0–1) वल्द एडी तिर्की प्रश्नगत् जमीन में दखलकार होकर अपने नाम से दाखिल–खारिज कर लिया। जिसका दाखिल–खारिज वादं सं0–30R27/1974-75 है।

पुनः प्रश्नगत् भूमि 0.72 एकड में से 0.04 एकड़ जमीन विपक्षी सलील तिर्की के नाम से है।

Scanned with CamScanner

(विपक्षी सं0–2) सुनिता तिर्की, पिता–जोहन तिर्की को केवाला सं0–57, दिनांक 24.0 द्वारा बिक्री कर दिया। जिसका दाखिल–खारिज वादं सं0–491R27/2012-13 है। आवेदक जतरू लोहरा द्वारा उक्त दाखिल–खारिज के खिलाफ न्यायालय भूमि सुधार समाहर्त्ता, सिमडेगा के न्यायालय में दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–03/2013–14 जत लोहरा बनाम सुनिता तिर्की वगै0 दायर किया गया। दिनांक 28.01.2014 ई0 को श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा द्वारा आवेदक जतरू लोहरा के अपील को खारिज कर दिया।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में प्रश्नगत् भूमि के बाबत धारा–144 द0प्र0स0 के तहत् आवेदक एवं विपक्षी के बीच मुकदमा चला। जिसका वाद सं0– M-45/2013-14 के रूप में दर्ज हुआ। उक्त वाद में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा दिनांक 31.07.2017 ई0 को एक आदेश पारित किया गया, एवं आदेशानुसार आवेदक जतरू लोहरा वगै0 को प्रश्नगत् भूमि में जाने से रोक लगा दिया गया, और विपक्षी का दखल–कब्जा संपुष्ट किया गया।

प्रश्नगत् भूमि के बाबत आवेदक जतरू लोहरा वगै0 के द्वारा न्यायालय श्रीमान सब जज–1, सिमडेगा के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–16/2013 दायर किया गया।

उक्त वाद में दिनांक 31.07.2017 ई0 को न्यायालय द्वारा विपक्षी सलील तिर्की वगै0 के पक्ष में निर्णय दिया गया है एवं आवेदक के वाद को खारिज कर दिया। वाद की जमीन के बाबत पुनः अंचल अधिकारी, सिमडेगा से एक जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अचल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा अपने पत्रांक–311(ii)/रा0, दिनांक 22.03.2021 द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन इस न्यायालय में समर्पित किये। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मोताबिक खतियान खाता नं0–188, प्लॉट नं0–4462, रकबा–0.72 मीला लोहार वल्द कोंगना लोहार दर्ज है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक का कहना है कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। विपक्षीगणों द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध वाद की जमीन का नजायज ढंग से हस्तान्तरण करा लिये है। अतः वाद की जमीन को वापस दिलवाया जाय। विपक्षीगणों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक के द्वारा दाखिल खतियान में कौम लोहार दर्ज है, और लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते है। साथ ही वर्त्तमान में वाद विधि–विधान से बाधित है। इस संबंध में विपक्षीगणों के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा **लिमिटेशन** के बिन्दु पर उच्चत्तम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दाखिल किया गया है:–

1. सीटु साहु वगै0 बनाम झारखण्ड सरकार (2004(4) J.c.R.211(SC) - सुप्रिम कोर्ट।
2. टाट इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार (2019(1) J.c.R.350 (झारखण्ड)–झारखण्ड हाईकोर्ट।
3. बैजनाथ मुण्डा बनाम झारखण्ड सरकार वगै0 (2018(3) J.c.R.181(Jhar) - झारखण्ड उच्च न्यायालय।
4. मनसा राम मांझी बनाम झारखण्ड सरकार वगै0 (2019(3) J.c.R.120(Jhar) - झारखण्ड उच्च न्यायालय।

Scanned with CamScanner

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन तथा उपरोक्त वर्णित सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा निर्गत वादों के न्यायादेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद की जमीन खतियान में कौम 'लोहार" दर्ज है और कौम लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है। अतः जमीन के अन्तरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 का उल्लंघन नहीं हुआ है। पुनः वाद की जमीन का अन्तरण सन् 1949 ई0 में निबंधित दस्तावेज के द्वारा हुआ है। जिसे आवेदक के दादा खतियानी रैयत मीला लोहार वल्द कोंगना लोहार कौम लोहार द्वारा निबंधित दस्तावेज द्वारा बिक्री किया गया है और आवेदक द्वारा यह वाद लगभग 68 वर्षो के पश्चात् लाया गया है, जो अवधि विधि–विधान (Limitaion Act) द्वारा बाधित है। विपक्षीगणों के द्वारा वाद की जमीन पर बिना किसी गतिरोध के लगातार 51 वर्षो से उपर दखल–कब्जा रहा है एवं विपक्षीगण निबंधित दस्तावेज से वाद की जमीन को क्रय किये हैं। विपक्षीगणों का पंजी–II में जमाबंदी भी कायम है, तथा सरकार को मालगुजारी अदा कर रसीद लिया करते है।

आवेदक का आवेदन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A के तहत् विचारणीय नहीं है। अतः आवेदक के भूमि वापसी आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 16:20:09 +05:30
Location: 192.168.202.80

Scanned with CamScanner